

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
जिला टास्क फोर्स, पिथौरागढ़

दिनांक : 19/10/19

पत्रांक : 342/जि0टा0फो0पि0/ई0री0-कल0-कार्य0/2019-20

कलस्टर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तहसील मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम बजेता में 17.967 है0 भूमि में उपखनिज सोपस्टोन का खनन पट्टा, आवेदक मै0 जे0डी0मिनरल्स, प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी, पुत्र स्व0 श्री नन्दन सिंह दफौटी, वी-54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी नैनीताल के पक्ष में शा0 सं0-2248/VII-1/2018/1 (13)/18 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के अनुसार आशय पत्र निर्गत किया गया है, जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा कलस्टर प्रमाण पत्र चाहने हेतु दिनांक 16.10.2019 को आवेदन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	ग्राम	खनन क्षेत्रफल	आवेदक का नाम	खनिज	आशय पत्र निर्गत करने की दिनांक
01	बजेता तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	17.967 है0	मै0 जे0डी0 मिनरल्स, प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी, पुत्र स्व0 श्री नन्दन सिंह दफौटी, वी-54, जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी नैनीताल	सोपस्टोन	शा0सं0-2248/VII-1/2018/1 (13)/18 दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के अनुसार आशय पत्र निर्गत किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ई0आई0ए0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित)/ई0आई0ए0ए0 अधिसूचना 15.01.2016 परिशिष्ट-11 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त खनन क्षेत्र का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि के अन्तर्गत अन्य कोई खनन क्षेत्र स्वीकृत नहीं है और न ही वर्तमान में कोई भी संचालित है, जिससे सम्बन्धित प्रकरण ई0आई0ए0 अधिसूचना की श्रेणी वी-1 से आच्छादित होता है।

भवदीय
राजपाल लुथा
28/10/19
उपनिदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी
पिथौरागढ़

0/C